कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान,

लेन नं0 01, तरूण विहार, मोथरोवाला रोड, देहरादून—248001

दूरभाष / फैक्स 0135-2671940Email-eemdwb@gmail.com

पत्रांक : 03 / जीवनगढ़ पैरी अरबन / 2020—21 दिनांक : 05/04/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण
वन प्रभाग, कालसी।

विषयः— **जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ़ के निर्माण हेतु 0.18 है0 ग्राम पंचायत भूमि (जंगल झाड़ी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/WATER/64675/2020) ।**

सन्दर्भः सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन का पत्र 1887/X-3-20/2(54)/2020 दिनाँक 13.01.2021।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन की सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को सम्बोधित व जिसकी प्रति आपके कार्यालय व अन्य विभागों सहित इस कार्यालय को भी प्रेषित है सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक वन भूमि प्रकरण में विभिन्न अधिरोपित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है :—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 378200.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 118260.00 वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में सुचित करना है कि भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में यदि बढ़ोतरी होती है और सक्षम / उच्च स्त्तर से एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों पर धनराशि की माँग सूचित की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण एन0पी0वी0 की बढ़ी हई धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा होगी। इस आशय की वचन बद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. आपके कार्यालय पत्रांक 1461 / 12—1 दिनाँक 06.02.2021 कालसी के क्रम में शर्त संख्या 1 के अनुसार रू0 378200.00, शर्त संख्या 2 के अनुसार रू0 118260.00 कुल रू0 496460.00 की धनराशि दिनाँक 26.03.2021 को **N.E.F.T/R.T.G.S** के माध्यम से शर्त सं0 4 के अनुसार कोर्पोरेशन बैंक, ब्लॉक —11 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस—1, लोधी रोड़, नई दिल्ली—110003 के पक्ष में जमा कर दी गई है।

5. शर्त संख्या 5 के अनुपालन में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, सुझावों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ हार्ड कॉपियों में व ऑनलाइन अपलोड़ करते हुए पूर्व में ही आपके विभाग में उच्च–स्तर को प्रेषित है। (छायाप्रतियाँ संलग्न)
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)

अतः अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण, देहरादून के कार्यालय को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

(ए0पी0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
(एफ0आई0यू0)

<u>पृ0 सं0 एवं दिनाँक तदैवः</u> –
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता (पी0आई0यू0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
4. जिला अधिकारी, देहरादून।
5. सहायक अभियन्ता (एफ0आई0यू0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जीवनगढ़, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
(एफ0आई0यू0)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND JAL SANSTHAN
Application No.	5364675685
MoEF/SG File No.	02(54)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	DehradunDehradun
Amount(in Rs)	496460/-

Amount in Words :Four Lakh Ninety-Six Thousand Four Hundred and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150895364675685 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Dehradun

26 MAR 2021

RECEIVED

EXECUTIVE ENGINEER
MAINTENANCE DIVISION
UTTARAKHAND JAL SANSTHAN
DEHRADUN

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=WATER646752020685

प्रपत्र–23.2

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ़ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम पंचायत भूमि (जंगल–झाडी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर, देहरादून

उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना,जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.180 है0 आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड जलसंस्थान, अनुरक्षण खण्ड, देहरादून को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की
दिनांक 25/8/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री____________,उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी, विकासनगर –अध्यक्ष
(उपजिलाधिकारी विकासनगर) 26/8/20

2–श्री [illegible] पाण्डेय उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग – सदस्य
(उप प्रभागीय वनाधिकारी सहसपुर उप वन प्रभाग,)

3–श्री [illegible] पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकासनगर – सदस्य/सचिव

4–श्री [illegible] सिंह चौहान बी0डी0सी0 क्षेत्र
[illegible] चौहान

सदस्य
क्षेत्र पंचायत अम्बाड़ी
वि0ख0–विकासनगर (दे0दून)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बादामावाला द्वितीय
वि0ख0 विकासनगर (देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक मे स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना जीवनगढ में नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु 0.180 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड जलसंस्थान, अनुरक्षण खण्ड, देहरादून के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर उर्ध्व जलाशय एवं नलकूप निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना जीवनगढ मे उर्ध्व जलाशय एवं नलकूप निर्माण हेतु 0.180 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड जलसंस्थान, अनुरक्षण खण्ड, देहरादून को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर, उपखण्ड–विकासनगर,
देहरादून।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर, उपखण्ड–विकासनगर,
देहरादून।

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अर्न्तगत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम सभा भूमि (जंगल–झाडी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण।

कार्यवृत्त

पत्रांक :– /सक/वन अधि0अधि0/2018–19 दिनांक :

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संशोधित) के धारा–6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC (pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 5.10.20 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के संबंध में चर्चा व विचार–विमर्श हुआ –

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.18 है0 ग्राम सभा (जंगल–झाडी) भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उत्तराण्ड जल संस्थान, विकासनगर को ग्राम सभा (जंगल–झाडी) भूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के **अनुसार** भूमि प्रबन्धन **समिति** द्वारा उनकी बैठक दिनांक 26/12/2018 को विचार–विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उप जिलाधिकारी, विकासनगर की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 26/08/2021 विचार–विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से संबंधित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी। प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।	जिलाधिकारी देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
ग्राम भोपालपानी, पोस्ट बड़ासी,
रायपुर–थानों रोड़, देहरादून

पत्रांकः–1853/सं0नि0/भू0खनि0ई0/भू0सर्वे0/दे0दून/2020–21 दिनांकः–03 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड,
उत्तराखण्ड जल संस्थान, लेन नं0–1,
तरूण विहार, मोथरोवाला रोड़,
देहरादून।

अम्बाड़ी (राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बाड़ी के समीप), पृथ्वीपुर (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेड़ा पछुवा के समीप) नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना (Introduction):–

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, लेन नं0 1, तरूण विहार, मोथरोवाला रोड़, देहरादून के पत्र संख्या 173/पैरी अरबन/2020–21 दिनांक 20.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक पोषित जीवनगढ़ पेयजल योजना में 02 स्थलों पर नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भूमि (जंगल–झाड़ी) हस्तान्तरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है, जिस हेतु वर्णित स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों (अम्बाड़ी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बाड़ी के समीप, पृथ्वीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेड़ा, पछुवा के समीप) का भू–गर्भीय दृष्टिकोण से निरीक्षण, श्री एस0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता जल संस्थान एवं श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में दिनांक 28.10.2020 को सम्पन्न किया गया।

अम्बाड़ी (राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बाड़ी के समीप) नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या

प्रस्तावित स्थल ग्रामसभा अम्बाड़ी के अन्तर्गत नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु हस्तान्तरण के लिये प्रस्तावित भूमि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अम्बाड़ी के समीप स्थित है। यह भूमि ग्रामसभा की है, जिसका आकार 30 मी0 X 30 मी0 (0.090 हेक्टेयर) है, जो मोजा अम्बाड़ी के खाता संख्या 471, खसरा संख्या 708 में स्थित है। उक्त भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है जिसके अक्षांश एवं देशान्तर निम्नवत हैः–

a.	N- 30⁰ 29' 12.3"	E- 77⁰ 48' 54.7"
b.	N- 30⁰ 29' 13.0"	E- 77⁰ 48' 55.7"
c.	N- 30⁰ 29' 13.6"	E- 77⁰ 48' 54.7"
d.	N- 30⁰ 29' 12.9"	E- 77⁰ 48' 54.1"

प्रस्तावित स्थल भूगर्भीय दृष्टिकोण से दून ग्रेवल्स के अन्तर्गत पड़ता है। स्थल एक समतल भू–भाग है जिसमें मिट्टी का मोटा आवरण व इसके निचले भू–भाग में कोबुल, पेबुल मिट्टी में मिश्रित अवस्था में पाये जाने की पूर्ण सम्भावना है। स्थल पर भूगर्भीय दृष्टिकोण से कोई विपरीत भूगर्भीय परिस्थितियां दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

पृथ्वीपुर (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेड़ा पछुवा के समीप) नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावित स्थल ग्रामसभा पृथ्वीपुर के अन्तर्गत नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु हस्तान्तरण के लिये प्रस्तावित भूमि प्राथमिक विद्यालय, खेड़ा पछुवा के समीप स्थित है। यह भूमि ग्रामसभा की है, जिसका आकार 30 मी0 X 30 मी0 (0.090 हेक्टेयर) है, जो मोजा पृथ्वीपुर के खाता संख्या 173, खसरा संख्या 251ख में स्थित है। उक्त भूमि पर 01 पीपल का वृक्ष है, जिसकी गोलाई 1.80 मी0 होना अवगत कराया गया है। उक्त भूमि के अक्षांश एवं देशान्तर निम्नवत हैः–

a.	**N- 30^0 26' 46.3"**	**E- 77^0 47' 47.4"**
b.	**N- 30^0 26' 46.2"**	**E- 77^0 47' 46.2"**
c.	**N- 30^0 26' 47.2"**	**E- 77^0 47' 46.3"**
d.	**N- 30^0 26' 47.2"**	**E- 77^0 47' 47.4"**

प्रस्तावित दोनों स्थल भूगर्भीय दृष्टिकोण से दून ग्रेवल्स के अन्तर्गत पड़ते है। स्थल एक समतल भू–भाग है जिसमें मिट्टी का मोटा आवरण व इसके निचले भू–भाग में कोबुल, पेबुल मिट्टी में मिश्रित अवस्था में पाये जाने की सम्भावना है। स्थल पर भूगर्भीय दृष्टिकोण से कोई विपरीत भूगर्भीय परिस्थितियां दृष्टिगोचर नहीं होती हैं परन्तु निम्नलिखित सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की स्थिति में प्रश्नगत दोनों स्थल उक्त कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होते हैः–

1. उर्ध्व जलाशय का निर्माण Framed Structure पर किया जाना होगा।
2. उर्ध्व जलाशय के निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग मानकों का पूर्णतया समावेश किया जाना होगा।
3. स्थल की भार ग्रहण क्षमता के अनुरूप उर्ध्व जलाशय का निर्माण किया जाये।
4. उर्ध्व जलाशय के चारों तरफ पानी की निकासी हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने होंगे।
5. प्रश्नगत स्थल वन भूमि होने की दशा में वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
6. निर्माण कार्य के दौरान स्थल से निकलने वाली मिट्टी बोल्डर, कोबुल, पेबुल का वाणिज्यिक प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तों एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा में दोनों स्थल भूगर्भीय दृष्टिकोण से नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होते हैं।

02/11/20

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान

पत्रांकः– /सं0नि0/भू0खनि0ई0/भू0सर्वे0/दे0दून/2020–21, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान

प्रपत्र–43

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम सभा भूमि (जंगल–झाडी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
(अनुरक्षण खण्ड)
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

Maintenance Division
Uttarakhand Jal Sansthan

प्रपत्र–17

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम सभा भूमि (जंगल–झाडी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से योजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

Executive Engineer (F.I.U.)
Maintenance Division
Uttarakhand Jal Sansthan
Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
(अनुरक्षण खण्ड),
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

प्रपत्र–15.5

योजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अर्न्तगत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना, जीवनगढ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम सभा भूमि (जंगल–झाडी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण।

योजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 01 वृक्षों में से वास्तविक रूप से किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

Executive Engineer (F.I.U.)
Maintenance Division
Uttarakhand Jal Sansthan
Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
(अनुरक्षण खण्ड),
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

वन क्षेत्राधिकारी
चौहड़पुर रेंज
वन क्षेत्राधिकारी
चौहड़पुर रान्ज, सहसपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

परियोजना का नाम : जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पयेजल योजना, जीवनगढ़ के निर्माण हेतु 0.180 है0 ग्राम पंचायत भूमि (जंगल झाड़ी) का उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकासनगर को हस्तान्तरण हेतु 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु प्राक्कलन।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष					
1	स्थल की सफाई एवं सर्वेक्षण	प्रति है0	1.00	153	153.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति है0	1.00	5179	5179.00
3	ट्री गार्ड की कीमत एवं ढुलान करना।	सं0	100	2500.00	250000.00
4	ट्री गार्ड को 1 : 2 : 4 सीमेन्ट कंकरीट में गाड़ना।	सं0	100	127.00	12700.00
5	गड्ढे खुदान हेतु संरेखण करना।	प्रति सै0	100	29.00	29.00
6	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षति सहित)	प्र0 पौध	110	7.15	786.50
7	60 X 60 X 60 सेमी0 साईज के गड्ढे खोदना।	प्रति गड्ढा	100	24.70	2470.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	प्र0है0	1.00	2700.00	2700.00
	योग				**274017.50**
द्वितीय वर्ष					
1	गड्ढों का खाद / कीटनाशक मिलाकर भरान करना।	प्रति गड्ढा	100	4.00	400.00
2	पौधों की लदाई–उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सै0	110	91.00	10010.00
3	पौध का ढुलान नर्सरी से व श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान।	प्रति पौध	110	13.00	1430.00
4	पौध रख–रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	110	1.55	170.50
5	पौध रोपण थावला बन्दी सहित	प्रति सै0	100	384.00	384.00
6	पौध की निराई–गुडाई (दो बार) करना।	प्रति पौध	100	5.05	505.00
7	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार।	प्रति है0	9 माह	823.2	7408.80
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
9	अन्य व्यय.टोकरी, रस्सी, चूना आदि।	प्र0है0	1.00	2700.00	2700.00
	योग				**23171.30**
तृतीय वर्ष					
1	पौध की निराई.गुडाई (दो बार) करना।	प्रति पौध	100	5.05	505.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
3	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10546.40**
चतुर्थ वर्ष					
1	पौध की निराई.गुडाई (एक बार) करना।	प्रति पौध	100	2.00	200.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
3	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10241.40**
पंचम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
षष्टम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**
सप्तम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**
अष्टम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**
नवम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**
दसम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	163	163.00
2	पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार (12 माह)	प्रति है0	12 माह	823.20	9878.40
	योग				**10041.40**
	कुल योग				**378225.00**
	या				**378200.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र, मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये हैं, जिनकी छाया प्रतियां संलग्न है।

(ए0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/WATER/64675/2020 Jeevangarh Peri Urban Water Supply Scheme	WATER646752020685	5364675685	13 Jan 2021	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 118260/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 496460/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- gap filling plantation charges : 378200/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :20 Feb 2021 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :08 Mar 2021 Transaction Date :26 Mar 2021	Demand Letter Generated Challan

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र, मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये हैं, जिनकी छाया प्रतियां संलग्न है।

(ए0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता